Hkjrh; turk ikVhZ

(केंद्रीय कार्यालय)

11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दूरभाष : 23005700; **फैक्स** : 23005787

दिनांक : 31 जुलाई, 2009

विदेश मंत्रालय की कार्यप्रणाली की बहस में भाग लेते समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली द्वारा दिए गए भाषण के संक्षिप्त बिन्दु

16 जुलाई, 2009 को मिस्र के शर्म–अल–शेख में प्रधानमंत्री और उनके वार्ताकार दल द्वारा की गई भारी चूक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ से अब तक अनुसरित विदेश नीति को पूरी तरह उलट कर रख दिया है। यद्यपि हम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का उन शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने पूर्व–प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई शांति प्रक्रिया की सराहना में कहे हैं, तो भी डॉ. मनमोहन सिंह ने श्री वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को प्रभावी तौर पर उलट दिया है। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच 6 जनवरी, 2004 को जारी संयुक्त वक्तव्य में लिखा था –

> "प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और जारी रखने के लिए हिंसा, शत्रुता और आतंकवाद को पूरी तरह रोका जाना चाहिए। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को आश्वस्त किया कि वे पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी भू–क्षेत्र को आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देंगे।" 6 जनवरी, 2004 के वक्तव्य का तात्पर्य था –
>
> (क) कि वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवाद को हर हाल में रोका जाना चाहिए और ;
>
> (ख) पाकिस्तान अपने भू–क्षेत्र को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देगा।

इस प्रकार जिस राष्ट्र– अर्थात पाकिस्तान को भारत और विश्व समुदाय के सामने इस बारे में पीछे की ओर झुकना था कि उसके यहां से आतंकवाद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसके बारे में वाजपेयी की नीति का पहला तनूकरण 2006 में हवाना से किया गया जब प्रधानमंत्री जी ने भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रख दिया। प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार हुआ है–उस राष्ट्र के बारे में, जिसने भारत के विरूद्ध आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए अपने भू–क्षेत्र को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। इस दृष्टि में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान दोनों को आतंकवाद का समान रूप से निशाना बताते हुए दोनों के बीच समानता दर्शाने का प्रयास किया।

प्रधानमंत्री द्वारा की गई दूसरी बड़ी गलती जिसने श्री वाजपेयी के विचार–दर्शन पर पूरी तरह से पानी फेर दिया भी शर्म–अल–शेख में ही हुई। शर्म–अल–शेख भारत की विदेश नीति के वार्ताकारों द्वारा की गई दो भारी गलतियों का साक्षी बन गया।

प्रथमतः, बलूचिस्तान का संदर्भ जानते हुए और इरादतन लाया गया था। इसके पीछे भारत पर अदृश्य उंगली उठाने का आशय था। पाकिस्तानी मीडिया और प्रधानमंत्री गिलानी ने शर्म–अल–शेख के बाद मत व्यक्त किया कि आतंकवाद प्रायोजित करने के दोष को भारत के सर पर मढ़ा जा रहा था और इसीलिए शर्म–अल–शेख के बाद के संयुक्त वक्तव्य में भारत आतंकवाद का शिकार बनने की बजाय एकाएक आतंक का प्रायोजक बन गया। भारत एक शिकायतकर्ता के रूप में शर्म–अल–शेख गया था तथा एक दोषी के रूप में वापस लौटा। *"मुद्दई बनकर गए, मुद्दायला बनकर लौटे।"*

दूसरे, शर्म–अल–शेख में भारी गलती यह हुई कि आतंकवाद पर कार्रवाई को समग्र वार्ता–प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया। उक्त वक्तव्य में वार्ता की आवश्यकता पर जोर डाला गया है। वक्तव्य में उल्लिखित है कि वार्ता ही आगे बढ़ने का मार्ग है और वार्ता की आवश्यकता पर अधिक बल देने के लिए इस वक्तव्य में वार्ता को आतंक के विरूद्ध कार्रवाई से पृथक कर दिया गया। इस कदम ने वाजपेयी जी की शांति प्रक्रिया को पूरी तरह ध्वस्त कर

दिया। सो, वाजपेयी जी की पहल के प्रति प्रधानमंत्री जी की शाब्दिक सहानुभूति का कोई लाभ नहीं है। राजनेता श्री वाजपेयी और उनके प्रति व्यक्त की गई प्रशंसा प्रधानमंत्री द्वारा की गई भारी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकतीं।

तीसरे, सत्य का एक ही रूप होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 17–07–2009 को अपनी भारत वापसी पर अपने बयान को शर्म–अल–शेख के बयान से बदल कर प्रस्तुत किया। संसद के दोनो सदनों में उनके वक्तव्य का पाठ इस प्रकार है –

''यह हमारी सदैव से सतत स्थिति रही थी और स्थिति सतत बनी हुई है कि पाकिस्तान के साथ सार्थक वार्ता प्रारम्भ करने का कोई भी बिन्दु उसकी इस वचनबद्धता के शब्दों में और अर्थो में पूरा करने से जुड़ा है कि उसके भू–क्षेत्र को भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसी भी रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नही दी जाएगी।''

अब प्रधानमंत्री जी ने 29–07–2009 को लोकसभा मे दिए गए अपने वक्तव्य में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया है। अब प्रधानमंत्री जी का कहना है–

''मैंने बार–बार कहा है और मैं अब फिर इस कथन को दोहराता हूँ। भारत में किसी भी सरकार के लिए पाकिस्तान के प्रति सम्बंधों को सामान्य बनाने के लिए कार्य करना तब तक असम्भव है जब तक पाकिस्तान सरकार अपनी इस वचनबद्धता को शब्दों में तथा भावना में पूरी तरह नही निभाती है कि उसके भू–क्षेत्र को भारत के विरूद्ध आतंकवादी कार्यकलाप को किसी भी रूप में करने की अनुमति नही दी जाएगी''।

6 जनवरी, 2004 को समग्र वार्ता के लिए पूर्व शर्त भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि के प्रयोग की अनुमति नही दिया जाना थी। 17–07–2009 को प्रधानमंत्री जी ने शर्म–अल–शेख वचनबद्धता का यह अभिप्राय समझा कि सार्थक वार्ता शुरू करने से पूर्व शर्त आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी भू–क्षेत्र के इस्तेमाल को रोका जाना है। प्रधानमंत्री जी ने अब 29–07–2009 को अपनी स्थिति को और हल्का कर लिया है। भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों हेतु इस्तेमाल होने देने के लिए अपने भू–क्षेत्र की अनुमति नही दिए जाने वाली शर्त अब केवल सम्बंधों के पूर्ण सामान्यीकरण के लिए है, अब यह शर्त पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता शुरू करने के लिए नही है। सत्य हाथ से असुविधाजनक रूप से फिसल गया है। शर्म–अल–शेख में जारी हुए संयुक्त वक्तव्य का अर्थ है कि आतंकवाद के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही किए जाने पर भी वार्ता शुरू की जा सकती है।

चौथे, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी द्विविधापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी केवल लोकसभा में प्रधानमंत्री के उत्तर की सराहना करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 30–07–2009 को कांग्रेस संसदीय पार्टी को किए गये अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए दृढ़ और दो–टूक वक्तव्य का पूर्ण समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष संयुक्त वक्तव्य के समर्थन के प्रति क्यों अनिच्छुक हैं ? संयुक्त वक्तव्य और प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए उत्तर के बीच मौलिक अन्तर है। कांग्रेस पार्टी उत्तर का तो समर्थन करती है किन्तु संयुक्त वक्तव्य पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से कतराती है।

पॉचवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध संयुक्त वक्तव्यों और सहमति–प्राप्त पाठों के द्वारा अधिशासित होते हैं। वे शासनाध्यक्षों द्वारा अपने स्वयं के देशों में दिए गए एकपक्षीय भाषणों से कभी भी अधिशासित नही होते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिया–अनुक्रिया केवल संयुक्त वक्तव्य के पाठ के विश्लेषण से प्रारम्भ होगी। क्या भारत अंग्रेजी भाषा में संयुक्त वक्तव्य के पाठ के सुस्पष्ट तथा असंदिग्ध अर्थ से आबद्ध होगा अथवा वह अपने प्रधानमंत्री के एकपक्षीय स्पष्टीकरण से आबद्ध होगा जोकि अंग्रेजी पाठ के सीधे–सादे अर्थ से भिन्न है?

छठे, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह तर्क कि वार्ता का विकल्प युद्ध है, भय–प्रसारक है। भारत के राजनय की सफलता पाकिस्तान को समग्र वार्ता के लिए सहमत होने के लिए विवश करने मे निहित है, न कि भारत के विरूद्ध आतंकवाद हेतु अपने भू–क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने में। भारत को वार्ता को प्रोत्साहन देना चाहिए किन्तु आतंकवाद के साथ वार्ता को प्रोत्साहन नही देना चाहिए। प्रधानमंत्री की विदेश नीति सततता और श्री वाजपेयी की विदेश नीति की विरासत का प्रतिनिधित्व नही करती है। श्री वाजपेयी की विदेश नीति मजबूत स्थिति से वार्ता करना थी–ऐसी वार्ता जिसमें आतंक का नामोनिशान नही हो। यही चिंता का केन्द्र बिन्दु है। शर्म–अल–शेख की घोषणा भय से उपजी वार्ता है न कि मजबूत धरातल से की गई वार्ता। यह आतंकवाद पर ध्यान दिए बिना की जाने वाली वार्ता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को गलत बताया है कि केवल दो ही विकल्प सामने हैं – वार्ता या युद्ध। यह भारत की ऐसी विदेश नीति है जो दुर्बलता की परिचायक है, न कि दृढ़ता की।